

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
एस० ए० संख्या—78 / 2012

बद्री नायक एवं अन्य अपीलकर्तागण
बनाम

भुवनेश्वर साव एवं अन्य उत्तरदातागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री डी० एन० उपाध्याय

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री वी० शिवनाथ, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए :

06 / 26.11.2015 टाइटल अपील सं० 61 / 1999 में दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 को पारित निर्णय के खिलाफ इस अपील को दाखिल करने में हुई 916 दिनों की देरी को माफ (कंडोन) करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आई० ए० सं० 3116 / 2012 दायर किया गया है।

लगभग तीन वर्षों के बिलंब हेतु उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और मैं इस आवेदन में लिए गए आधारों से संतुष्ट नहीं हूँ।

परिणाम में, मैं बिलंब को माफ (कंडोन) करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

आई० ए० सं० 3116 / 2012 को खारिज किया जाता है।

तदनुसार, एस० ए० संख्या 78 / 2012 भी कालबाधित होने के कारण खारिज किया जाता है।

(डी० एन० उपाध्याय, न्याया०)